संख्या-7/2015-184/21-उर्दू-1-2015(372/2013)

प्रेषक,

शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी
विभूति खण्ड,गोमती नगर
लखनऊ।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँकः 24 जुलाई, 2015

विषयः वेतन समिति-2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों की भाँति फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के कर्मचारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-437(एफ0ए0)/2014 दिनांक 19 अगस्त, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के समस्त श्रेणी के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए.सी.पी.) की व्यवस्था निम्नवत लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) ए.सी.पी. की व्यवस्था दिनांक 01 दिसम्बर 2008 से प्रकल्पित आधार पर अनुमन्य कराते हुए वास्तविक लाभ इस शासनादेश के निर्गत किए जाने की तिथि से अनुमन्य होगा।

2(।) ए.सी.पी. के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 16 वर्ष व 26 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगेः-

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा निरन्तर संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु

किसी पद का वेतनमान/ग्रेड वेतन किसी समय बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवावधि की गणना में पूर्व वेतनमान/ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/ ग्रेड में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(ख) उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा परन्तु जिन्हें प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर दिनांक 01 दिसम्बर,2008 से अनुमन्य हुआ है, उन्हें द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन उक्त पद पर कुल 16 वर्ष की सेवा पर देय होगा भले ही दिनांक 01 दिसम्बर,2008 के बाद संबंधित कार्मिक की सेवाएं 06 वर्ष न हुयी हों अथवा समान ग्रेड वेतन में पदोन्नत हो चुका हो।

परन्तु

यदि उक्त पदधारक की प्रोन्नति प्रथम विततीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पूर्व दिनांक 01 दिसम्बर,2008 के पश्चात होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय होगी, किन्तु यदि उसकी प्रोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पश्चात होती है तो उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन, प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के दिनंक से 06 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पर देय होगा।

(।।) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित अवधि की गणना पूर्व वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(।1।) ए.सी.पी. की व्यवस्था लागू होने के पश्चात सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

परन्तु

उक्तानुसार पदोन्नति प्राप्त वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन ए0सी0पी0 की व्यवस्था से लाभान्वित समान पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त किसी कनिष्ठ कर्मचारी से कम होने की दशा में वरिष्ठ कार्मिक का वेतन कनिष्ठ कार्मिक के बराबर कर दिया जायेगा। उपर्युक्तानुसार वरिष्ठ कार्मिक को

http://shasanadesh.up.nic.in

कनिष्ठ कार्मिक के समान वेतन तभी अनुमन्य होगा जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का श्रोत एंव सेवा शर्तें समान हों।

-3-

(iv) ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित संतोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/बाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा। ए0सी0पी0 की अनुमन्यता हेतु रोजगार अवकाश की अवधि को सेवाकाल की गणना में नहीं लिया जाएगा।

<u>परन्तु</u>

ए0सी0पी0 की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन 1900/- के उपरांत उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000/- को इग्नोर किया जायेगा, फलस्वरूप प्रथम/द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900/- का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400/- माना जायेगा।

(2) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवा-नैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(3) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में समान्य प्रोन्नति की व्यवस्था में शासित होती है। अतः ऐसे मामले फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी में लागू सेवा नियमावली के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।

(4) इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतया वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नहीं कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) यदि कोई कर्मचारी किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने से पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस कर्मचारी को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नियमित पदोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित कर्मचारी को अनुमन्य किया गया वित्तीय

-4-

स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा तथापि ऐसे कर्मचारी को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वे प्रोन्नति लेने हेतु सहमत न हो जायें। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(6) ऐसे कर्मचारी जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(7) प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत कार्मिक को ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे बैण्ड वेतन/ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त श्रेणी के कार्मिकों को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन, द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा अथवा उक्त पद के सन्दर्भ में कुल 26 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

संबंधित पदधारक को यदि प्रथम और द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनांक को देय होता है, तो यह मानते हुए उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, सीधे द्वितीय वित्तीय स्नरोन्नयन अनुमन्यता के दिनांक को देय होगा। इसी प्रकार द्वितीय और तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन एक ही दिनांक को देय होने पर यह मानते हुए कि उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन काल्पनिक रूप से प्राप्त हो चुका है, सीधे तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्यता के दिनांक को देय होगा। काल्पनिक अनुमन्यता में वेतन निर्धारण का लाभ देय न होगा।

4-(I) वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण प्रमुख सचिव वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62 (एम) /2008, दि0 05नवम्बर, 2014 के संलग्नक-2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेडवेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और सम्बन्धित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

(II) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु फखरूद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटीमें एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी-ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

क- स्क्रीनिंग कमेटी में प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(ख) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में संबंधित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी /वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(ग) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी/स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

5. ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के संदर्भ में शासनादेश संख्या-वे0आ0- 2-1318/दस-59 एम /2008, दि0 08 दिसम्बर,2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के संबंध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

-6-

6. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-वे0आ0-2/896/दस-2015 दि0 20 जुलाई, 2015में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

शैलेश कृष्ण
प्रमुख सचिव।

संख्या-7/2015-184(1)/21-उर्दू-1-2015(372/2013)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) महालेखाकार (प्रथम / द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

(5) वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-2 (02 प्रतियों में)

(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बृजेश चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in